0

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: विषय: - डब्ल्यू.पी. क्रमांक - 5624 / द्वारा श्री राम शंकर कुशवाह के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन।

-0-


पंजी क्रमांक— 511/2016 दिनांक 22.1.2016 कार्यपालन यंत्री, भ/प संभाग भिण्ड से प्राप्त पत्र।

-0-

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। कार्यपालन लोक निर्माण भ/प संभाग, भिण्ड द्वारा मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा याचिका की प्रति उपलब्ध कराई — गई है।

अतः प्रकरण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण भ/प संभाग,भिण्ड को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। आदेश की प्रत्याशा में आदेश का प्रारूप अनुमोदनार्थ (स्वच्छ प्रतियां सहित) प्रस्तुत है।

Richard




3/02/16

93/0

05

का विभाग



#### मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय बल्लभ-भवन-भोपाल-462004,

#### //आदेश//

भोपाल, दिनांक 06/01/2016

क्रमांक-एफ-19-32/2016/स्था/19:: राज्य शासन एतद्द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनयम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण म/प संभाग, भिण्ड को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक-5624/2015 श्री राम शंकर कुशवाह विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि ओर विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है. निम्नलिखित कार्य करेगा :--

- 1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
- वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ओर ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
  - 3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
  - उक्त रिपोर्ट तथा समाग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
  - शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
  - 6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :--
    - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
    - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

    - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
  - 7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहायोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।

यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और

उसकी सूचना देनें में समय नष्ट नही हों।

10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होत है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।

- 11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित / छुपा हुआ नही रह जाए।
- 12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आवश्रानुसार

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल, दिनांक 0 / 09 / 2016

पु.क्रमांक - एफ-19-32/2016/स्था/19 प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

रजिस्ट्रार, मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर।

प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, विधि ओर विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

प्रमुख अभियता, लोक निर्माण, म०प्र० भोपाल। 3.

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर।

अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल, ग्वालियर।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण भ/प संभाग, मिण्ड / प्रभारी अधिकारी की और अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर विशेष अनुमति याचिका दायर कर रिपोर्क के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए ।

जिलाध्यक्ष जिला भिण्ड।

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय बल्लभ—भवन—भोपाल—462004,

## 10

#### //आदेश//

भोपाल, दिनांक 🐠 01/2016

क्रमांक-एफ-19-32/2016/स्था/19:: राज्य शासन एतद्द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण भ/प संभाग, भिण्ड को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक-5624/2015 श्री राम शंकर कुशवाह विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि ओर विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं. निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- 1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
- वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ओर ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा समाग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

  - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- 7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहायोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देनें में समय नष्ट नही हों।
- 10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होत है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
- 11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित / छूपा हुआ नही रह जाए।
- 12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यभारि के नाम से तथा आदेशाः

मध्यप्रदेश शासन लीक निर्माण विभाग

पु.क्रमांक - एफ-19-32/2016/स्था/19

भोपाल, दिनांक 06/01/2016 प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

रजिस्टार, मान, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर।

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि ओर विधायी कार्य विभाग, भोपाल। 2.

प्रमुख अभियता, लोक निर्माण, म०प्र० भोपाल। 3.

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर।

अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल, ग्वालियर।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण भ/प संभाग, मिण्ड / प्रभारी अधिकारी की और अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर विशेष अनुमित याचिका दायर कर रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए ।

जिलाध्यक्ष जिला भिण्ड। 7.

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग

## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

W.P. No. of 2015 (S)

5624

Petitioner:

Prosented on.

Res Delivery

Ram Shankar Kushwah S/o Shri Jas Ram, aged 47 years, occupation service as Choukidar, R/o Village Daboha Distt. Bhind (M.P.).

Presentation Assistant

Versus

Respondents:

- State of Madhya Pradesh through the 1. . Principal Secretary, Public Works Department, Mantralaya, Vallabh Bahwan, Bhopal, M.P.
- Enginner-in-Chief, Public Works 2. Bhawan, Satpura Department, Bhopal, M.P.
- Chief Engineer(North), Public Works 3. Department, Morar, Gwalior, M.P.
- Executive Engineer, Public Works Department, Bhind Division, Bhind, M.P.

## PETITION UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA

The copies required by rule 25 of Chapter X of High Court of M.P. Rules, 2008 have been served upon A.G. Office, Gwalior on2).08.2015

1. Particulars of the Cause/Order against which the Petition is

made

Order No. (i)


Nil

Dated

राष्ट्रभा आवृत्त न्यायालय वालियर

(ii)

Nil



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH CASE No. . . . . . . . . . . . . OF 20

Order

# ORDER SHEET (Continuation)

Date & S. No. of the order

W.P. No.5624/2015 (Ram Shankar Kushwah Vs. State of M.P. and others)

#### 13/10/15

Shri P.L.Sharma, Advocate for the petitioner. Shri S.K.Jain, G.A. for the respondents-State.

Learned counsel for the parties fairly submit that the controversy involved in this writ petition is squarely covered by the order dated 6/4/2015 passed by a co-ordinate Bench of this Court in W.P. No.2000/2015 (Kaluram Narwariya Vs. State of M.P. and others).

Accordingly, this writ petition is disposed of on the same terms as in W.P. No.2000/2015. The directions contained therein shall apply mutatis mutandis to this case with full force. The parties are directed to

Petition is disposed of.

No. (6) or (7)

(Rohit Arya) Judge CERTIFIED TO BE A TRUE COP

Charked & Found Correct



(and)

Pas 19-32/2016/2011/19

### कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ/प) संभाग, भिण्ड (म.प्र.)

E-mail:- eepwdbhind@gmail.com

पत्र कमांक 🎖 / कोर्ट केस / 2015-16

भिण्ड, दिनांक- 5 / /2015

प्रति.

लो.नि.वि. म.प्र. शासन भोपाल

नक्य प्रहारा कासन erres function finemen 10 m 511 19 22/1/16

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर का प्रकरण कमांक WP 5624/2015 द्वारा श्री राम शंकर कुशवाह दै.वे.भो. विरूद्ध म.प्र. शासन में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रकरण कमांक WP 5624/2015 द्वारा श्री राम शंकर कुशवाह दै.वे.भो. विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा पंजीकृत है। उच्च न्यायालय ग्वालियर में उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 13.10.2015 को पारित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में शासकीय पक्ष समर्थन हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के आदेश संवाहित करने का कष्ट करें जिससे निर्धारित तिथि का माननीय न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से जवाबदावा प्रस्तुत किया जा सके।

सहपत्र:- निर्णय आदेश की छायाप्रति।

/को.के./2015-16 प कमांक-प्रतिलिपि:-

- महाअधिवक्ता, उच्च न्यायालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेशित।
- मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. उत्तर परिक्षेत्र ग्यालियर की ओर संदर्भित पत्र के तारत्म में सूचनार्थ प्रेशित।
- अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. मंडल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेशित।

E CHI. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./प) संभाग, भिण्ड